सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फा.सं.: 25-25011/18/2022-नॉटिकल-नौमनि　　　　दिनांक: 23.12.2022

वाणिज्य पोतपरिवहन सूचना संख्या 2022 का 13

विषय: विपत्ति के असत्य संकेतों से बचने हेतु दिशानिर्देश- संबंधी।

1. यह नोट करते हुए कि वीएचएफ, डीएससी, एमएफ/एचएफ डीएससी, मान्यता प्राप्त शिप अर्थ स्टेशन (एसईएस) ईपीआईआरबी से सक्रिय भेजे गए विपत्ति के असत्य संकेत एसएआर ऑपरेशन करने के लिए खोज और बचाव(एसएआर) प्राधिकारियों को कार्य पर लगाने से रेस्क्यू कोओर्डिनेशन सेंटरों (आरसीसी) और राष्ट्रीय कोष (एक्सचेकर) पर बहुत अधिक तथा अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और इसमें वास्तविक संकट की स्थितियों तथा समुद्र में जीवन रक्षा पर संभावित रूप से गंभोर प्रभाव हो सकता है। इससे जीएमडीएसएस पर समुद्रकर्मियों के विश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. इस संबंध में, ग्लोबल मैरिटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम (जीएमडीएसएस) में विपत्ति के असत्य संकेत के प्रसार, पुनरावृत्ति और रिले से बचने के लिए नौवहन महानिदेशालय ने समय समय पर कई वाणिज्य पोतपरिवहन सूचनाएं और परिपत्र जारी किए हैं।

3. आईएमओ संकल्प एमएससी-496(105) के माध्यम से अपनाए गए ग्लोबल मैरिटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम (जीएमडीएसएस) के संशोधनों को देखते हुए और आईएमओ संकल्प ए-814(19) में दर्शाए गए विपत्ति के असत्य संकेत से बचने हेतु दिशानिर्देशों को परिशोधित एवं अद्यतित करने की आवश्यकता को देखते हुए, आईएमओ ने दिनांक 28 अप्रेल,2022 के संकल्प एमएससी-349 (डब्ल्यूआरसी-19) के माध्यम से "विपत्ति के असत्य संकेतों से बचने हेतु परिशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे।(प्रतिलिपि अनुलग्नक- 1 के रूप में संलग्न)

4. यह ध्यान में रखते हुए कि विपत्ति के असत्य संकेतों का प्रसार एवं रिले ग्लोबल मैरिटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम (जीएमडीएसएस) के भीतर एक महत्वपूर्ण समस्या है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन ने नवंबर, 2019 के संकल्प-349 (डब्ल्यूआरसी-19) के माध्यम से विपत्ति के असत्य संकेतों को रद्द करने हेतु प्रचालन संबंधी कार्यविधियां जारी की हैं। (प्रतिलिपि अनुलग्नक- 2 के रूप में संलग्न)

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

5. विपत्ति के असत्य संकेतों के गंभीर प्रभाव को समझते हुए और असत्य संकेतों को कम करने के उद्धेश्य के साथ, नौवहन महानिदेशालय ने पोत स्वामियों, पोत चालकों, पोत मास्टरों, समुद्रकर्मियों, प्रशिक्षण संस्थानों, संकाय और अन्य सभी समुद्रीय संस्थानों के ध्यानार्थ परिशोधित दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएं जारी की हैं।

6. यह वाणिज्य पोतपरिवहन सूचना उपर्युक्त विषय पर सभी सूचनाएं एवं परिपत्रों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

7. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

23/12/2022

(श्री बालुंकेश्वर महापात्रा)

वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक-सह-सनौमनि (तकनीकी)